



अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(6)/ग्रावि-5/लेखा/बन्द योजना/2020-21

दिनांक सितम्बर, 2021

जिला कलेक्टर,  
समस्त, (राजस्थान)।

**विषय :-** ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित बन्द योजनाओं की समस्त राशि संबंधित योजना मद में जमा कराने के संबंध में।


**संदर्भ :-** विभागीय पत्र दिनांक 01.02.2021 एवं केम्प में दिये गये निर्देशों के क्रम में पत्र दिनांक 26.02.2021, 22.03.2021 एवं 09.07.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिला स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विभिन्न बन्द योजनाओं के अन्तर्गत अवशेष राशि है, जिनके संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा आक्षेप गठित किया गया है।


इस संबंध में आपको उक्त राशि लौटाने हेतु पूर्व में विभाग के स्तर से अनेकों बार लिखा गया है, किन्तु कार्यवाही आदिनांक तक अपेक्षित है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न बन्द योजनाओं की उपलब्ध अवशेष राशि को संबंधित योजना मद में जमा करायी जाकर अद्यतन सूचना (मय साक्ष्य) से इस विभाग को दिनांक 27.9.2021 तक अवगत करावें।

कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

  
(के.के. पाठक)  
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंचायति।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
4. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राविप्र), समस्त।

  
अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

901